



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 श्रावण 1942 (श10)
(सं० पटना 472) पटना, सोमवार, 10 अगस्त 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

10 अगस्त 2020

एस० ओ० 149, दिनांक 10 अगस्त 2020—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 50 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 101, दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 562, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् -

उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुच्छेद में प्रथम परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु उन पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जो की निम्न तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किए गए हैं और जिनको प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, लेकिन जो स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट कर अवधि की उक्त विवरणी को नियत तारीख तक, देय कर के भुगतान के साथ, प्रस्तुत नहीं करते हैं, देय प्रति वर्ष ब्याज की दर, स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निम्नलिखित दर हैं:-

तालिका

क्र०सं०	पंजीकृत व्यक्तियों का वर्ग	ब्याज की दर	कर अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य प्रतिशत, उसके बाद 24 जून, 2020 तक 9 प्रतिशत	फरवरी, 2020, मार्च, 2020 और अप्रैल, 2020
2	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो और जिनका कारबार का मुख्य	30 जून, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9	फरवरी, 2020

	स्थान छत्तीसगढ़ राज्य ,मध्यप्रदेश राज्य ,गुजरात राज्य ,महाराष्ट्र राज्य ,कर्नाटक राज्य ,गोवा राज्य ,केरल राज्य ,तमिलनाडु राज्य ,तेलंगाना राज्य ,आंध्रप्रदेश राज्य ,दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र ,पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र ,अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र में है	प्रतिशत	
		3 जुलाई, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	मार्च, 2020
		6 जुलाई, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर,2020 तक 9 प्रतिशत	अप्रैल,2020
		12 सितंबर, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर,2020 तक 9 प्रतिशत	मई,2020
		23 सितंबर, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर,2020 तक 9 प्रतिशत	जून,2020
		27 सितंबर, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर,2020 तक 9 प्रतिशत	जुलाई,2020
3	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो और जिनका कारबार का मुख्य स्थान हिमाचल प्रदेश राज्य ,पंजाब राज्य ,उत्तराखंड राज्य ,हरियाणा राज्य ,राजस्थान राज्य ,उत्तर प्रदेश राज्य ,बिहार राज्य ,सिक्किम राज्य ,अरुणाचल प्रदेश राज्य , नागालैंड राज्य ,मणिपुर राज्य ,मिजोरम राज्य , त्रिपुरा राज्य ,मेघालय राज्य ,असम राज्य ,पश्चिम बंगाल राज्य ,झारखंड राज्य या ओडिशा राज्य ,जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र ,लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र ,चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र या दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में है	30 जून, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	फरवरी, 2020
		5 जुलाई, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	मार्च, 2020
		9 जुलाई, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	अप्रैल,2020
		15 सितंबर,2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	मई,2020
		25 सितंबर, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	जून,2020
		29 सितंबर, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	जुलाई,2020।।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध21/2017-(खंड-10)1352)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

10 अगस्त 2020

एस० ओ० 149, दिनांक 10 अगस्त 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-10) 1352)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 10th August 2020

S.O. 149, Date 10th August 2020— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 50 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with section 148 of the said Act, the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 101, dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 562, dated the 29th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that the rate of interest per annum shall be as specified in column (3) of the Table given below for the period mentioned therein, for the class of registered persons mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who are required to furnish the returns in **FORM GSTR-3B**, but fail to furnish the said return along with payment of tax for the months mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table by the due date, namely:—

Table

Sl. No.	Class of registered persons	Rate of interest	Tax period
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	Nil for first 15 days from the due date, and 9 per cent thereafter till 24 th day of June, 2020	February, 2020, March 2020, April, 2020
2.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year, whose principal place of business is in the States of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Goa, Kerala, Tamil Nadu, Telangana or Andhra Pradesh or the Union territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli, Puducherry, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep	Nil till the 30 th day of June, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30 th day of September, 2020	February, 2020
		Nil till the 3 rd day of July, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30 th day of September, 2020	March, 2020
		Nil till the 6 th day of July, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30 th day of September, 2020	April, 2020
		Nil till the 12 th day of September, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30 th day of September, 2020	May, 2020
		Nil till the 23 rd day of September, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30 th day of September, 2020	June, 2020

Sl. No.	Class of registered persons	Rate of interest	Tax period
(1)	(2)	(3)	(4)
		Nil till the 27 th day of September, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30 th day of September, 2020	July, 2020
3.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year, whose principal place of business is in the States of Himachal Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Assam, West Bengal, Jharkhand or Odisha or the Union territories of Jammu and Kashmir, Ladakh, Chandigarh and Delhi	Nil till the 30 th day of June, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30 th day of September, 2020	February, 2020
		Nil till the 5 th day of July, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30 th day of September, 2020	March, 2020
		Nil till the 9 th day of July, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30 th day of September, 2020	April, 2020
		Nil till the 15 th day of September, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30 th day of September, 2020	May, 2020
		Nil till the 25 th day of September, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30 th day of September, 2020	June, 2020
		Nil till the 29 th day of September, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30 th day of September, 2020	July, 2020.”.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-10)1352)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 472-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>